जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 12/2017(RCMS : 2017/00024) एयू फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर बनाम 1. मैसर्स जगदीश चंद सुरेन्द्र कुमार–प्रो. राजेन्द्र कुमार वधवा,दुकान नं 20–21 न्यू क्लॉक मार्केट, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर 2. राजेन्द्र कुमार वधवा 3. रितु वधवा निवासी 2 बी 25 बी, सुखाड़िया नगर, वार्ड नं 41, जिला श्रीगंगानगर 4. मैसर्स निश्चल फैब जरिये प्रो. रितु वधवा दुकान नं. 21–21 न्यू क्लॉक मार्केट, सूरतगढ रोड,श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री जलविन्द्र सिंह भंगू के अधिकार पत्र पर श्री देवेन्द्र सिह संधू, अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.06.2018 को भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2016 की प्रति पेश की, जिसके अनुसार कम्पनी का नाम एयू फाईनेसंर्स (इंडिया) लिमिटेड हैं और दिनांक 13.04.2017 को उक्त कम्पनी का नाम एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड किये जाने सम्बन्धित नोटिफिकेशन की प्रति, भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के लाईसेंस संख्या एमयूएम 126 प्रमाण पत्र की प्रतियां भी दिनांक 20.06.2018 को पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई है।

प्रार्थी एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड के अभिभाषक श्री देवेन्द्र सिंह संधू का कथन था कि **उक्त कम्पनी एयू फाईनेसर्स (इंडिया) लिमिटेड को वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया** जिसमें कम्पनी का नाम अधिसूचना के क्रमांक 40 पर दर्ज है और अब वर्तमान में उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है, जिसके परिणाम के रूप में प्रमाण पत्र दिनांक 13.04.2017 की प्रति प्रस्तुत है।भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अनुसार एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को अब भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर कर लिया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का करोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया है, जो शामिल पत्रावली है। उक्त प्रार्थी कम्पनी एयू फाईनेंस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ऋणीयों **मै. जगदीश चन्द्र–सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार वधवा, रितु वधवा एवं मै. निश्चल फैब** को दिनांक 14.12.2015 को 2,75,00,000/–रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ पच्चहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 02

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजेन्द्र वधवा अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 30.09.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 13.10.2016 को कुल 2,94,54,727/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13.10.2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी संख्या 02 राजेन्द्र वधवा अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी एयू फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड का वर्तमान में नाम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत क्रम संख्या 40 पर वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है और अब MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVERNMENT OF INDIA) के Registrar of Companies, Jaipur द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी सर्टिफिकेट के अनुसार उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं. एमयूएम :126 दिनांक 20.12.2016 प्रदान किया है एवं **भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के निर्देश दिये है।** इसलिए धारा 13(2) दिनांक 13.10.2016 को कम्पनी के रूप में तथा दिनांक 20.12.2016 से एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण (ऋणियों) के विरूद्ध कार्रवाई करने की अधिकारिता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उक्त प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण **मै. जगदीश चन्द्र—सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार वधवा, रितु वधवा एवं मै. निश्चल फैब को दिनांक 14.12.2015 को 2,75,00,000/—रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ पच्चहत्तर लाख मात्र) की ऋण राशि स्वीकृत की थी** और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र वधवा अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 30.09.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 13.10.2016 को 2,94,54,727 रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13.10.2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा कम्पनी की बकाया राशि जमा नही करवाई गई। इसलिए प्रार्थी कम्पनी द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी गई ऋणी राजेन्द्र वधवा की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

चूंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा ऋणी राजेन्द्र वधवा की अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त सम्पत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.10.2016 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 13.10.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण **मै. जगदीश चन्द्र– सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार वधवा, रितु वधवा एवं मै. निश्चल फैब** को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। जिसकी पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे शामिल है। उक्त नोटिस का जवाब उक्त अप्रार्थीगण ऋणियों के अधिवक्ता श्री **आर. के. लूणा, ने दिनांक 22.10.2016 को दिया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2017 के द्वारा 22.10.2016 के जवाब में अंकित बिन्दु संख्या 3, 4, 5 के सम्बन्ध में जो जानकारी उनके द्वारा चाही गई थी, जिसका उत्तर बैंक द्वारा 03.11.2016 को प्रेषित किया गया है, किन्तु बिन्दु संख्या 03 का पूर्ण विवरण उपलब्ध न करवाने के कारण, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2017 के द्वारा बिन्दु संख्या 03 का उत्तर भिजवाने के लिए प्रार्थी कम्पनी को निर्देशित किया गया, जिसके सम्बन्ध में उन्होनें दिनांक 01.02.2018 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दिया है, जो अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को प्राप्त हो गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आर.के. लूणा द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 13.10.2016 के संदर्भ में प्रार्थी कम्पनी को दिनांक 22.10.2016 को नोटिस जवाब प्रस्तुत करना यह स्पष्ट करता है कि धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के नोटिस सीमा संदेश एवं दी इंडियन एक्सप्रैस अख़बार में दिनांक 18.10..2016 को प्रकाशित किये**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

गये है। इस प्रकार नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है इसलिए उक्त्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा को प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी कम्पनी एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड (वर्तमान नाम एयू स्माल फाईनेंस बैक इंडिया लिमिटेड) का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2017 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई ऋणी राजेन्द्र वधवा की अचल सम्पत्ति **दुकान नं. 21 (छत अधिकार के साथ), चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना) 37 (नया) किला नं. 11, 12, 19 एवं 20 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 12' गुणा 28') एवं दुकान नं 4 (बिना छत अधिकार के परन्तु बेसमैंट, निचला तल, ऊपरी एवं प्रथम तल के अधिकार के साथ), सिटी ट्रेड सैंटर, अहाता नं 01, पब्लिक पार्क तहसील व जिला श्रीगंगानगर (10'गुणा 30')** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर